कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी हापुड

दिनांकः–26.08.2023

पत्रांकः– 221 /जलाशय निविदा/2023–24

निविदा सूचना (श्रेणी–5 के विभागीय जलाशय/तालाब)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्यपाल महोदय,उ0प्र0 की ओर से मत्स्य विभाग उ0प्र0 के प्रबन्धान्तर्गत जनपद हापुड के श्रेणी–5 का धौलाना विभागीय तालाब/जलाशय मत्स्य पालन एवं आखेट हेतु जहाँ है जैसा है कि स्थिति में निविदा 10 वर्षो हेतु शासनादेश सं0 765/57–मत्स्य–2000–5(69)/81 दिनांक 08 मार्च,2000,शासनादेश सं0 4948/सत्रह–म–2005–5(69)/81 दिनांक 16 जनवरी,2006 एवं शासनादेश सं0 24/2018/1263/सत्रह–म–2018–5(59)/81 दिनांक 27 अगस्त,2018 में निर्धारित शर्तो के अनुरूप एवं शासनादेश द्वारा गठित निविदा समिति के समक्ष निम्न विवरण के अनुसार निविदा आमन्त्रित की जाती है।

विभागीय जलाशय का नाम	क्षेत्रफल हे0में	मत्स्य पालन हेतु आखेट अवधि	प्रथम वर्ष हेतु आमन्त्रित मूल्य (लाख में)	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खुलने की तिथि एवं समय	बयाने की धनराशि रू0 में	निविदा का स्थल	निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये में)
धौलाना	7.929	10 वर्ष स्वीकृत तिथि से 30 जून, 2033 तक	0.58 अटठावन हजार मात्र	25.09.2023 सांय 5.00 बजे तक	26.09.2023 समय 12.30 बजे	5800 रू0 पॉच हजार आठ सौ मात्र	कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष,हापुड	रू0 50(रू0 पचास मात्र) निविदा प्रपत्र प्राप्ति स्थल मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सहायक निदेशक मत्स्य,हापुड कमरा नं0 221,222 विकास भवन द्वित्तीय तल हापुड

मत्स्य वर्ष से तात्पर्य ग्रिगेरियन कैलेण्डर वर्ष की 01 जुलाई से अगले वर्ष के ग्रिगेरियन कैलेण्डर की 30 जून तक से है।

निविदा की मुख्य शर्ते

1– श्रेणी–5 के विभागीय जलाशय का निस्तारण जनपद मुख्यालय पर किया जायेगा। निविदा की प्रक्रिया में शासनादेश सं04948/सत्रह–म–2005–5(69)/81 दिनांक 16 जनवरी,2006 के पात्रता संबंधी प्रावधान लागू होगे।

2– विभाग से क्रय किये गये निविदा प्रपत्र ही मान्य होगें। विभाग के अभिलेखों में संरक्षित निविदा प्रपत्र ही मान्य होगें, अनियमित प्रपत्रों पर दी गई निविदा निरस्त कर दी जायेगी। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

3– निविदादाता यदि उसे विभाग का कोई बकाया भुगतान करना हो तो पूर्ण रूप से भुगतान करने पर ही प्रक्रिया में भाग ले सकेगा, समिति के ऊपर कोई भी बकाया नही होने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र मत्स्य विभाग से लेना होगा,काली सूची में दर्ज व्यक्ति का निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नही होगा,व्यक्ति या समिति के ऊपर कोई भी बकाया नही होने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र मत्स्य विभाग के जनपदीय अधिकारी से प्राप्त करके निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।यदि बकायेदारी के तथ्यों को छिपाकर निविदा प्रकिया में भाग लेता है ,निविदा प्रपत्र पर कटिंग,ओवर राईटिंग व व्हाइटनर प्रयोग की दशा में निविदा समिति पर या अधिकारी पर अनुचित दबाव डालन/डलवाने की दशा में किसी सम्भावित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में रोककर धमकाकर ठेका लिया है तो उनको निविदा निरस्त कर दी जायेगी।अनुबन्ध होने के बाद ठेका समलेट करने या ऐसे कोई तथ्य संज्ञान में आते है तो जिनका निविदादाता ने उल्लघन किया तब पुष्टि होने पर ऐसे अनुबंध पत्र में निहित अनुबंध का सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

4– मैनुअल निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य जमाकर क्रय किया जा सकेगा.निविदादाता लिफाफे पर अपना नाम व पता/समिति अपना विवरण अंकित करेगें। मैनुअल निविदा में तकनीकी निविदा एवंम वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे मे प्रस्तुत की जायेगी। निविदा समिति के समक्ष पहले तकनीकी निविदा खोली जायेगी तद्वउपरान्त तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

5– निविदा की विस्तृत शर्ते व अन्य जानकारियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी,हापुड कमरा नं0 2021,222 द्वितीय तल विकास भवन,हापुड से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

सहायक निदेशक मत्स्य
गाजियाबाद/हापुड
मोबाइल नम्बर–8318211132

www.upgov.nic.in
Upid- 193980 Dt. 30.08.2023